संख्या- **44/2026**/2045/छिहत्तर-1-202**6(1739613)**

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 12 अक्टूबर, 2026

विषयः-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए प्रख्यापित संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024' में संशोधन करते हुए 'उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओ के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2026 का प्रख्यापन।

महोदय,

प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए शासनादेश संख्या-63/2024/2066/छिहत्तर-1-2024/1739613, दिनांक 29.08.2024 द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 प्रख्यापित है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को विस्तारित करते हुए जल जीवन मिशन 2.0 लागू किया गया है। जल जीवन मिशन 2.0 के अन्तर्गत भारत सरकार के साथ प्रदेश सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एवं दिशा निर्देशों में उल्लिखित 19 आवश्यक कम्पोनेन्ट्स एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल किये जाने के उद्देश्य से 'प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024' को संशोधित किया जाना अपरिहार्य हो गया था।

2- उक्त के दृष्टिगत 'प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024' को संशोधित करते हुए 'उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओ के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2026' का सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त एतदद्वारा प्रख्यापन किया गया है।

3- अतः उक्त प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओ के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2026' के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण को संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2026 के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय

Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 12-10-2026 15:10:38

(अनुराग श्रीवास्तव)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-44/2026/2045(1)/छिहत्तर-1-2026(1739613), तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-4/2/16/2026-सी0एक्स0(1), दिनांक 09.10.2026 के क्रम में।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 12-10-2026 15:42:35

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।